



इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 1865/2026

आकाश सिंह

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, उ.प्र., लखनऊ

...विरोधी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : आनंद दुबे, अमित त्रिपाठी, अर्पण प्रकाश श्रीवास्तव

विरोधी पक्ष के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता ए3336, मनोज कुमार मिश्रा

न्यायालय संख्या - 11

माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 294/2025, धारा 119(2), 109(1), 324(5), 352, 351(3) बी.एन.एस., थाना-बाघराय, जनपद-प्रतापगढ़ में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. यह स्पष्ट है कि जमानत आवेदन दिनांक 26.03.2026 से लंबित है और श्री मनोज कुमार मिश्रा, अधिवक्ता द्वारा दो घायल व्यक्तियों, अर्थात् उपेन्द्र कुमार शुक्ला एवं श्रीमती कान्ति शुक्ला, की ओर से वकालतनामा दाखिल किया गया था। प्रथम तिथि पर वाद स्थगित किया गया। तत्पश्चात इस न्यायालय द्वारा दिनांक 06.04.2026 को आदेश पारित किया गया कि अगली तिथि पर कोई और स्थगन प्रदान नहीं किया जाएगा। यह भी स्पष्ट है कि उपेन्द्र कुमार शुक्ला @ अतुल शुक्ला स्वयं भी प्रश्नगत अपराध में अभियुक्तों में से एक है। प्रथम सूचना रिपोर्ट (F.I.R.) संबंधित थाने के उपनिरीक्षक श्री देवी दयाल वर्मा द्वारा दर्ज कराई गई थी। अभियोजन के अनुसार, आवेदक पक्ष तथा उपेन्द्र कुमार शुक्ला @ अतुल शुक्ला के पक्ष के सदस्यों के बीच विवाद हुआ था। पुलिस ने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, लेकिन दोनों पक्ष आक्रामक हो गए। इसके पश्चात संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा प्रश्नगत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।

4. उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत, केवल स्थगन के अनुरोध के आधार पर वाद स्थगित नहीं किया जाएगा। अतः आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा मामले का निस्तारण किया जाता है।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष व्यक्ति है और वह दिनांक 27.12.2025 से जेल में निरुद्ध है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि समान भूमिका वाले सह-अभियुक्तगण, अर्थात् साहिल सरोज, शशांक सरोज @ बच्ची सरोज, शैलेन्द्र सिंह, प्रशान्त मिश्रा, आलोक सिंह, राजन सरोज, सूरज सरोज @ पुट्टे, रानू गुप्ता तथा सूर्य प्रताप सिंह, को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11.3.2026, 23.3.2026, 8.4.2026, 9.4.2026, 1.5.2026, 4.5.2026 तथा 4.4.2026 के आदेशों द्वारा पहले

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

ही जमानत प्रदान की जा चुकी है। उक्त आदेश क्रमशः क्रिमिनल मिस. बेल एप्लीकेशन/क्रिमिनल मिस. एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन संख्या 1096/2026, 1877/2026, 582/2026, 583/2026, 800/2026, 812/2026, 808/2026 तथा 659/2026 में पारित किए गए हैं। (विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जमानत आदेशों को अभिलेख पर लिया गया है।)

उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि आरोप-पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है और आवेदक विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है। इन परिस्थितियों में आवेदक भी जमानत पाने का अधिकारी है। जमानत पर रिहा किए जाने की स्थिति में वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु उन्होंने यह तथ्य स्वीकार किया कि सह-अभियुक्तगण साहिल सरोज, शशांक सरोज @ बच्ची सरोज, शैलेन्द्र सिंह, प्रशान्त मिश्रा, आलोक सिंह, राजन सरोज, सूरज सरोज @ पुट्टे, रानू गुप्ता तथा सूर्य प्रताप सिंह को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की परस्पर दलीलों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, एफ.आई.आर. की विषय-वस्तु, अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों, सह-अभियुक्तगण साहिल सरोज, शशांक सरोज @ बच्ची सरोज, शैलेन्द्र सिंह, प्रशान्त मिश्रा, आलोक सिंह, राजन सरोज, सूरज सरोज @ पुट्टे, रानू गुप्ता तथा सूर्य प्रताप सिंह के जमानत आदेशों, समानता के आधार तथा तथ्यों एवं परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करते हुए, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

8. आवेदक आकाश सिंह को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर, उपर्युक्त वाद/अपराध संख्या में जमानत पर रिहा किया जाए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:-

(i) आवेदक ऐसे किसी अपराध को कारित नहीं करेगा अथवा उसमें भाग नहीं लेगा, जो उस अपराध के समान हो जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है या जिसके कारित किए जाने का उस पर संदेह है.

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदक इस आशय का एक शपथपत्र/अंडरटेकिंग प्रस्तुत करेगा कि जिस तारीख को साक्ष्य के लिए मामला नियत हो और गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, उस तारीख को वह किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में विचारण न्यायालय के लिए यह स्वतंत्र रहेगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

(iv) आवेदक प्रत्येक नियत तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-22भा.दं.सं./धारा 269 बी.एन.एस. के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(v) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दं.प्र. सं./धारा 84 बी

एन.एस.एस. के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है तथा आवेदक उस उद्घोषणा में निर्धारित तारीख को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 174-17भा.दं.सं./धारा 209 बी.एन.एस. के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(vi) आवेदक को विचारण न्यायालय के समक्ष मामले की कार्यवाही प्रारंभ होने के दिन, आरोप तय किए जाने के दिन, तथा धारा 313 दं. प्र. सं./धारा 351 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत बयान दर्ज किए जाने के दिन निश्चित तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा।

यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय स्वतंत्र होगा कि वह इस चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करे।

9. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

दिनांक: 10 जून, 2026

गौरव/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।